न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

वइजलास अशोक कुमार, आरएएस

प्रकरण संख्याः–10/2019/अपील

1. रणजीतसिंह पुत्र नारू (नाहरसिंह) जाति दरोगा निवासी भगतपुरा ग्राम पंचायत अभयपुरा (नांगल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)।

– अपीलान्ट

व ना म

1. ग्राम पंचायत अभयपुरा (नांगल) जरिये सरपंच
2. सुरजी देवी पत्नि नारू
3. माहवीर सिंह
4. महेन्द्रसिंह
5. बलवीर सिह

} पुत्रगण स्व. नारू उर्फ (नाहरसिंह)

समस्त जाति दरोगा निवासी भगतपुरा ग्राम पंचायत भगतपुरा (नांगल)

6. उपतहसीलदार महोदय उपतहसील पलसाना
7. तहसीलदार महोदय पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट्स

अपील नामान्तरण संख्या 230 दिनांक 16.06.1990 तस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत अभयपुरा (नांगल)

उपस्थितिः

1. श्री योगेश शर्मा वकील अपीलान्ट की ओर सें।
2. श्री शंकरलाल वकील अपील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5 की ओर सें।

निर्णय दिनांकः– 02.03.2020

1. अपील में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार सें है कि भूमि ख0नं0 37, 38, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 83 कुल किता 13 कुल रकबा 2.94 हैक्टर ग्राम भगतपुरा पटवार हल्का अभयपुरा तहसील दांतारामगढ में अवस्थित है। जिस पर अपीलान्ट व रेस्पोडेंटस् संख्या 2 ता 5 काबिज काश्तकार खातेदार है। रेस्पोडेंट्स संख्या 2 अपीलान्ट की माता तथा रेस्पोडेंट्स 3 ता 5 अपीलान्ट के भाई है। अपीलान्ट के पिता तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 के पति व रेस्पोडेंट्स संख्या 3 ता 5 के पिता नारू का स्वर्गवास लगभग 29–30 साल पूर्व हो चुका है। जिस समय अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हुआ, उस समय जब उपरोक्त कृषि भूमियों का नामान्तकरण भरा गया, वह अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के निकनेम से अंकन कर रेस्पोडेंट संख्या 01 से तस्दीक करवाया गया, जो कि अपीलांट व रेस्पोडेंट

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ता 4 के विधिक अधिकारें पर विपरीत प्रभाव डालता है। उक्त नामान्तकरण प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभावशुन्य है क्योंकि 1. वादग्रस्त नामान्तरण संख्या 230 दिनांकित 16.06.1990 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्ट्या ही निरस्त होने योग्य है। 2. अपीलांट का वास्तविक नाम रणीजीतसिंह है न कि रूघवीरसिंह है। अपीलांट के सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि में अपीलांट का सही नाम रणजीतसिंह अंकित है तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह स्पष्ट किया है, कि रणजीतसिंह ही अपीलांट का सही नाम है। इसलिए भी चुनौतिग्रस्त नामाकरण निरस्त होने योग्य है। 3. रेस्पोडेंट संख्या 4 का सही नाम महेन्द्रसिंह है बल्कि नामान्तकरण भरते समय पुत्र बनवास नारू के नाम से अंकन किया गया है। जो कि उसका निक नेम रहा है। जबकि बनवास नाम के कोई नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। इसलिए भी चुनौतिग्रस्त नामान्तरण निरस्त होने योग्य है। 4. रेस्पोडेंट संख्या 5 बलवीरसिंह का सही नाम बलवीरसिंह लेकिन जमाबन्दी में बीरबलसिंह अंकन किया है। इसलिए रेस्पोडेंट संख्या 5 का नाम भी बलबीरसिंह पुत्र नारू उर्फ (नाहरसिंह) अंकित होना अनिवार्य है। चुनौतिग्रस्त नामान्तरण में अपीलांट के अलग नाम अंकन होने की जानकारी पूर्व में अपीलांट को भी नहीं रही है। जब अपीलांट दिनांक 28.07.2019 को के.सी.सी. कार्ड बनवाने हेतु जमाबन्दी की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तब उस अपना रेस्पोडेंट संख्या 3 ता 5 की गलत नाम अंकन होने की जानकारी हुई तब अपीलांट ने दिनांक 29.07.2019 को नकल का आवेदन उपतहसील पलसाना में प्रस्तुत किया जिसकी नकल दिनांक 29.07.2019 को प्राप्त होने से जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। किसी भी अवैध व प्रभावशुन्य आदेश को कभी भी निरस्त घोषित करवाया जा सकता है। जिसके लिये परिमाप निश्चित नहीं है। फिर भी मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र से प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः अपील प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 6 उपतहसीलदार पलसाना को लिखा जावे कि वह दस्तावेज जांच कर पुनः नामांतकरण सही नाम सें अंकन कर सही करें।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 5 की ओर सें वकील श्री शंकर लाल हाजिर आये तथा शेष रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामांतकरण

उपखण्ड अ... ...रामगढ

Scanned with CamScanner

तथा प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन सें स्पष्ट है कि मृतक नारू की विरासत का नामांतकरण भरते समय उसके वारिसान का नाम तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में नारू के वारिसान के नामों में भिन्नता है। अतः अपीलाधीन नामांतकरण निरस्तनीय है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामांतरण संख्या 230 दिनांक 16.06.1990 बतस्दीक ग्राम पंचायत अभयपुरा (नांगल) तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा उपतहसीलदार पलसाना को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान के दस्तावेजों में नाम आदि की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना सें अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 02.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned with CamScanner